

प्रेषक,

अमिताभ त्रिपाठी,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,  
कानपुर विकास प्राधिकरण,  
कानपुर।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 30 जून, 2001

विषय : कानपुर विकास प्राधिकरण के मूल पट्टाधारक द्वारा प्रदत्त मुख्तारनामों के आधार पर भूखण्ड/भवन का फ्री-होल्ड विलेख निष्पादन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1165/काविप्रा/2000-01, दिनांक 8.12.2000 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मूल पट्टाधारक के नाम पर एटार्नी होल्डर द्वारा फ्री-होल्ड विलेख हस्ताक्षरित कराया जाता है तो, कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु एटार्नी होल्डर अपने नाम पर फ्री-होल्ड नहीं कर सकता है। इस प्रकार के लम्बित प्रकरण कृपया तदनुसार निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। कृपया आवेदक को भी शासन के निर्णय से अवगत करा दें।

भवदीय,

अमिताभ त्रिपाठी  
अनु सचिव